Hindi

तथ्य पत्र 1
ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता को समझना

यह तथ्य पत्र AMPARO Advocacy द्वारा तैयार किया गया है ताकि सांस्कृतिक एवं भाषाई तौर पर विविध समुदायों से सम्बन्धित लोगों को विकलांगता के बारे में अनुवादित जानकारी प्रदान की जा सके।

1. विकलांगता क्या है?
2. ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता
3. विकलांगता के प्रकार
4. प्रारम्भ में सहायता लेनी
5. अपने लिए ज़रूरी सहायता लेनी
6. सहायता कहाँ से लेनी चाहिए
7. विकलांगता सेवाओं में बदलाव
8. दुभाषियों तक पहुँच
9. अपने मत प्रकट करने में मदद लेनी

1. विकलांगता क्या है?

यदि किसी व्यक्ति को अपना ध्यान रखने, पैदल चलने या एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने, सुनने या देखने या साफ-साफ सोचने, या सीखने में मुश्किल आती हो तो हो सकता है कि वह व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त हो। हो सकता है कि उसे रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने में मुश्किल होती हो।

विकलांगता किसी दुर्घटना, सदमे, रोग के कारण हो सकती है, या हो सकता है कि व्यक्ति जन्म से विकलांगता से ग्रस्त हो। विकलांगता आम-तौर पर दीर्घावधि की और लगातार रहने वाली होती है, यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन तक बनी रहती है, इसलिए विकलांगता केवल कुछ महीनो के लिए बीमार पड़ना नहीं है, या फिर किसी हड्डी का टूटना नहीं है जो कि समय के साथ-साथ ठीक हो जाएगी।

किसी व्यक्ति की क्षमताएँ इस बात से भी प्रभावित हो सकती हैं कि दूसरे उनके बारे में (उनके व्यवहार के बारे में) क्या सोचते हैं और यह भी कि उनके आस-पास का भौतिक परिसर कैसा है, जैसे कि क्या वे अपने घर, कार्यक्षेत्र या समुदाय में एक जगह से दूसरे जगह आ-जा सकते हैं या नहीं, क्या वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, और यह कि समुदाय में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है।

2. ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता

ऑस्ट्रेलिया में, विकलांगता से ग्रस्त लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें समुदाय में दूसरे लोगों के जैसे सभी काम करने की अनुमति है। उदाहरणत: उन्हें निष्पक्ष रूप से अपने साथ बर्ताव किए जाने, सीखने और काम करने का अधिकार है, उन्हें यह फैसला करने का अधिकार है कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, और अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं।

विकलांगता से ग्रस्त लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने लक्ष्य और अपनी महत्वकांक्षाएँ पूरी कर सकते हैं, और समुदाय में शामिल होकर योगदान दे सकते हैं। विकलांगता से ग्रस्त लोगों में बहुत क्षमताएँ और कौशल होता है और वे नई योग्यताएँ सीखने में सक्षम होते हैं।

विकलांगता से ग्रस्त लोग पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन के सभी हिस्सों में शामिल होना चाहते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई कानून उन्हें ऐसा करने में उनकी मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, विकलांगता से ग्रस्त किसी व्यक्ति से भेदभाव करना गैर-कानूनी है।

विकलांगता से ग्रस्त होने का यह अर्थ हो सकता है कि व्यक्ति अलग तरीके से काम करे और उन्हें अलग-अलग प्रकार की मदद (सहायता) की ज़रूरत हो सकती है। उन्हें निम्नलिखित काम करने में मदद की ज़रूरत पड़ सकती है:

- शॉवर लेने या स्नान करने में
- वस्त्र पहनने में
- बिस्तर में जाने व बिस्तर से निकलने में
- बोलने और उन्हें समझने जाने में
- खरीददारी करने में
- समुदाय से जुड़ने में
- काम पर या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर जाने में
- व्हीलचेयर जैसे साधन खरीदने में
- अपने घर का ध्यान रखने और अच्छा जीवन व्यतीत करने में

3. विकलांगता के प्रकार

बौद्धिक विकलांगता

बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त लोगों को नई चीज़ें सीखने, समस्याओं का समाधान करने, ध्यान लगाने और याद रखने में अन्य लोगों की तुलना में और अधिक परेशानी हो सकती है। सबसे अधिक सामान्य कारण हैं -

- जन्म से विकलांगता से ग्रस्त
- गर्भावस्था के दौरान समस्याएँ (उदाहरणत:, पर्याप्त ऑक्सीज़न न मिलना)
- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ
- पर्याप्त भोजन का सेवन न करना, या अच्छी मेडिकल देखभाल न करना

शारीरिक विकलांगता

शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति के शारीरिक प्रकार्यों या उनके हिलने-डुलने की क्षमता को प्रभावित करती है, उदाहरणत: पैदल चलना या मूत्राशय नियंत्रण अथवा यह शरीर के किसी अंग को प्रभावित कर सकती है, उदाहरणत: टाँग या बाजू का न होना। शारीरिक विकलांगता के कई कारण हैं, हो सकता है कि व्यक्ति जन्म से इस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हो, या किसी दुर्घटना या रोग के कारण वह इस विकलांगता से ग्रस्त हुआ हो। शारीरिक विकलांगता में रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, और बहु काठिन्य शामिल है।

न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका सम्बन्धी) विकलांगता

न्यूरोलॉजिकल विकलांगता मस्तिष्क द्वारा सूचना के साथ बर्ताव करने और शेष शरीर के साथ संचार करने के तरीके को प्रभावित करती है, उदाहरणत: बोलना, सोच-विचार करनी और हिलना-डुलना। हो सकता है कि लोग जन्म से ऐसी विकलांगता से ग्रस्त हों, या फिर बाद में जीवन में ऐसी विकलांगता से ग्रस्त हो जाएँ या किसी दुर्घटना के फलस्वरूप उन्हें यह विकलांगता हो जाए।

मानसिक रोग

मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों को उनके सोचने, महसूस करने या व्यवहार करने के तरीके में कठिनाईयाँ हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके सम्बन्धों पर, उनकी काम करने की क्षमता या रहन-सहन पर असर पड़ सकता है,उदाहरणत: हो सकता है कि कोई व्यक्ति गंभीर डिप्रेशन (अवसाद) से ग्रस्त हो जो रोज़मर्रा के जीवन में भाग लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता हो। इससे उनके सम्बन्धों, उनके काम और जीवन का आनन्द लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

संवेदनात्मक विकलांगता

इसमें बहरापन, दृष्टि सम्बन्धी विकार या बोलने की समस्या शामिल है।

अधिगृहीत मस्तिष्क चोट

अधिगृहीत मस्तिष्क चोट मस्तिष्क पर लगी वह चोट है जो जन्म के बाद लगी हो। यह कार, खेलकूद या अन्य दुर्घटनाओं, स्ट्रोक (दौरे), दिमागी ट्यूमर से सम्बन्धित अथवा शराब या नशे के दुरूपयोग या ज़हर के कारणवश हुई हो सकती है। अधिगृहीत मस्तिष्क चोट के प्रभाव मामूली, और अल्पावधि के हो सकते हैं या फिर ये गंभीर व आजीवन भर के हो सकते हैं।

ऑटिज्म (स्वलीनता)

ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को भाषा या संचार सम्बन्धी परेशानी और सामाजिक योग्यताओं को सीखने में परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि वे ध्वनियों, छूने, चखने, दुर्गन्ध, रोशनी या रंगों को लेकर संवेदनशील हों।

4. प्रारम्भ में सहायता लेनी

यदि आपको लगता है कि आपकी संतान विकलांगता से ग्रस्त है तो जितनी जल्दी संभव हो सके मदद लेने से आपकी संतान को विकास करने और आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है और इसका अर्थ यह हो सकता है कि उन्हें आगे चलकर कम मदद की ज़रूरत हो।

प्रारम्भ में सहायता लेने से परिवारों को अपनी संतान की विकलांगता को समझने और उसे अच्छी देखरेख प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

5. अपने लिए ज़रूरी सहायता लेनी

विकलांगता से ग्रस्त कुछ लोगों और उनके परिवारों को अपने लिए ज़रूरी सहायता लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझते/समझती हैं कि विकलांगता क्या है। यह पता करने के लिए कि क्या आप विकलांगता से ग्रस्त हैं आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते/सकती हैं। ऐसी सेवाएँ और सहायताएँ उपलब्ध हैं जो विकलांगता से ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों की मदद कर सकती हैं।

6. सहायता कहाँ से लेनी चाहिए

यदि आप क्वींसलैंड में रहते/रहती हैं और आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को अभी मदद की ज़रूरत है, तो आप 13 74 68 पर फोन करके विकलांगता सेवाओं के किसी प्रतिनिधि से अपनी स्थिति के बारे में बात करने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

7. विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए सहायता में नए बदलाव

आने वाले 3 सालों में इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार होंगे कि विकलांगता से ग्रस्त लोग और उनके परिवार अपने लिए ज़रूरी सहायता कैसे ले सकते हैं। नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम की वेबसाइट www.ndis.gov.au पर जाकर या उन्हें 1800 800 110 पर फोन करके या यदि आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है तो 131 450 पर फोन करके आप अपने आप को नवीनतम जानकारी से अवगत रख सकते/सकती हैं।

8. क्या आपको किसी दुभाषिए या अनुवादित जानकारी की ज़रूरत है?

विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए क्वींसलैंड राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित सभी सेवाओं को आवश्यकता पड़ने पर दुभाषियों की व्यवस्था करनी चाहिए, और आप किसी दुभाषिए की मांग कर सकते/सकती हैं। नेशनल डिसेबिल्टी इंश्योरेंस स्कीम भी दुभाषिओं की व्यवस्था करती है। **दुभाषियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे आपकी जानकारी को गोपनीय रखें।** सेवाओं के लिए यह भी ज़रूरी है कि

Interpreter

वे किसी ऐसे तरीके में आपको जानकारी दें जिसे आप समझ सकें, उदाहरणत: आप उनसे अपनी भाषा में जानकारी को अनुवाद करने के लिए कह सकते/सकती हैं।

9. एडवोकेसी (पक्षसमर्थक) सहायता।

यदि आपको जिस बात की ज़रूरत हो उसे बताने में मदद की आवश्यकता है, तो हो सकता है कि आप एडवोकेसी संस्था से मदद प्राप्त कर पाएँ।

क्वींसलैंड में आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते/सकती हैं-

AMPARO Advocacy *(Brisbane)*	3354 4900
Capricorn Citizen Advocacy *(Rockhampton)*	4922 0299
Gold Coast Advocacy	5564 0355
Independent Advocacy Townsville	4725 2505
Ipswich Regional Advocacy Service	3281 6006
Mackay Advocacy Inc	4957 8710
Queensland Advocacy Incorporated	3844 4200
Rights In Action Incorporated *(Cairns)*	4031 7377
Speaking Up For You *(Brisbane/ Caboolture)*	3255 1244
Sunshine Coast Citizen Advocacy	5442 2524
The Advocacy and Support Centre *(Ipswich)*	3812 7000
The Advocacy and Support Centre *(Toowoomba)*	4616 9700
People with Disability Australia (*Bundaberg, Fraser Coast, Logan, Mt Isa, Sunshine Coast)*	1800 422 015

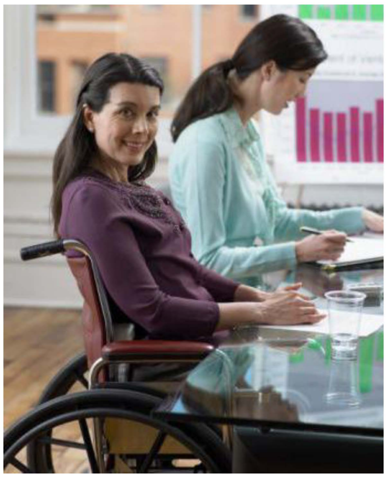

शिकायत करने में कोई बुराई नहीं है।

याद रखें, यदि आपसे किसी संस्था से संपर्क करने के लिए कहा जाता है, परन्तु वे मदद नहीं करती है, तो वापस बेहतर मदद के लिए निवेदन करने या फिर शिकायत करने में कोई बुराई नहीं है।

यदि आपको लगता है कि आपकी संस्कृति या विकलांगता के फलस्वरूप आपसे भेदभाव किया जा रहा है, तो आप क्वींसलैंड भेदभाव विरोधी आयोग (Queensland Anti-Discrimination Commission) से 1300 130 670 पर भी संपर्क कर सकते/सकती हैं।

यह जानकारी AMPARO Advocacy Inc द्वारा तैयार की गई है। हालाँकि यह सुनिश्चित करने हेतु हर प्रकार से ध्यान रखा गया है कि प्रकाशन के समय यह जानकारी सही है, परन्तु इस विषय-वस्तु का तात्पर्य सामान्य संक्षिप्त विवरण देना है जो कि हो सकता है कि सही, वर्तमान या संपूर्ण न हो। व्यक्तिगत परिस्थितियों से सम्बन्धित अधिक सलाह लेने का अत्यधिक सुझाव दिया जाता है।

दिनांक: अगस्त 2015

Community Resource Unit Inc.
Expanding Ideas; Creating Change

mamre ASSOCIATION INC

QDN
QUEENSLANDERS WITH DISABILITY NETWORK

AMPARO Advocacy inc

53 Prospect Road, Gaythorne, QLD 4051
PO Box 2065, Brookside Centre, QLD 4053
www.amparo.org.au info@amparo.org.au

phone 07 3354 4900
Interpreter Service 131450